उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-94/2018/1876 /92-2-18-58जॉच/2016

लखनऊ:: दिनांक 20 जुलाई 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के कार्यो से संबंधित सूचना न उपलब्ध कराने शासन तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की लगातार अवहेलना में संलिप्त रहने आदि अनियमितताओं के लिये प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/2016/1512/92-2-16-58जांच/2016, दिनांक 08-08-2016 द्वारा श्री हसनैन अहमद तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड -बुलंदशहर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। निलम्बन अवधि को श्री हसनैन को मुख्यालय (कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता) से सम्बद्व किया गया।

2- कालान्तर में जांच कार्यवाही में शीघ्रता के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1655/92-2-16-58जांच/16, दिनांक 12-09-2016 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर के स्थान पर मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री हसनैन को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-64/2016/1857/92-2-16-58जांच/16,दि0 20-10-16 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से बहाल किया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या दि0 22-06-2017 को शासन में उपलब्ध करायी गयी जिसमें श्री हसनैन का अभ्यावेदन प्राप्त किया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोपसं0-1 पूर्णरूप से एवं आरोप सं0-2 आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये है किन्तु किसी प्रकार की गम्भीर त्रुटि दृष्टिगत न होने के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-42/2016/1552/92-2-16-58जांच/2016 दिनांक 08-08-2016 द्वारा श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलन्दशहर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें भविष्य के लिये चेतावनी देते हुये समाप्त किया गया।

4- उक्त के संबंध में श्री हसनैन अहमद द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 11-04-2018 को प्रस्तुत करते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-207/17/2024/92-2-17-58जांच/16 दिनांक 04-12-2017 द्वारा दी गयी भविष्य के लिये चेतावनी को विलोपित करने का अनुरोध किया गया है। श्री हसनैन अहमद द्वारा अपने प्रत्यावेदन में उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उन्होने पूर्व में प्रस्तुत अपने अभ्यावेदन में किया था, जिसके लिये उन्हें भविष्य के लिये चेतावनी देते हुये संदर्भित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस प्रकार श्री हसनैन अहमद द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0-207/2017/2024/92-2-17-58जांच /2016 दिनांक 04-12-2017 के विरूद्ध शासन में दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 11-04-2018 परीक्षणोपरान्त बलहीन पाये जाने के कारण एतदद्वारा निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-94/2018/1876(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री हसनैन अहमद तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-बुलंदशहर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।